छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5—55 / 2023 / 10—2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27/ 12 / 2023

प्रति,

1 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख**
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

2 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)**
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः— मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर का इन्द्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.88 हे. वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः— 1.भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2.भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3.विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.11.2023।
4.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) का पत्र क्र./भू—प्रबंध/विविध—ए/115—870/2155, दिनांक 12.09.2023।

---000---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :—

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बीजापुर	इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर	कुटरू बफर	संकनपल्ली	आरक्षित वन	47	1914.086	0.5	0.096
2				संकनपल्ली	आरक्षित वन	50	2597.698	0.5	0.13
3				संकनपल्ली	आरक्षित वन	52	6827.649	0.5	0.34
4				बांगोली	आरक्षित वन	58	1541.523	0.5	0.077
5				संकनपल्ली	आरक्षित वन	60	1847.662	0.5	0.093
6				संकनपल्ली	आरक्षित वन	63	4199.041	0.5	0.21
7				एरमनार	आरक्षित वन	120	2102.056	0.5	0.105
आरक्षित वनभूमि का योग									**1.051**
8	बीजापुर	इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर	कुटरू बफर	भोसागुड़ा	संरक्षित वन	P99	403.363	0.5	0.02
9				भोसागुड़ा	संरक्षित वन	P98	1526.809	0.5	0.076
10				तुर्रेनार	संरक्षित वन	P125	2480.066	0.5	0.124

Rajal

261

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
11	बीजापुर	इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर	कुटरू बफर	भोसागुड़ा	संरक्षित वन	P92	2591.495	0.5	0.13
12				संकनपल्ली	संरक्षित वन	P69	3738.508	0.5	0.187
13				एरमनार	संरक्षित वन	P70	2628.81	0.5	0.131
14				एरमनार	संरक्षित वन	P81	2108.172	0.5	0.105
15				एरमनार	संरक्षित वन	P74	1116.251	0.5	0.055
16				एरमनार	संरक्षित वन	P73	2895.985	0.5	0.144
17			बीजापुर बफर	चिंगनपल्ली	संरक्षित वन	P184	3745.578	0.5	0.187
18			मददेड़ बफर	मोदकपाल	संरक्षित वन	P714	1637.066	0.5	0.082
संरक्षित वनभूमि का योग–									**1.241**
19	बीजापुर	इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर	कुटरू बफर	उसकापटनम	नारंगी क्षेत्र	OA 1061	2258.366	0.5	0.114
20				करकेली	नारंगी क्षेत्र	OA 1060	11550.327	0.5	0.578
21				संकनपल्ली	नारंगी क्षेत्र	OA 1069	1417.794	0.5	0.071
22				हुर्रेवाडा	नारंगी क्षेत्र	OA 1070	761.965	0.5	0.038
23				कुटरू	नारंगी क्षेत्र	OA 1072	5207.646	0.5	0.260
24				कुटरू	नारंगी क्षेत्र	OA 1073	5291.604	0.5	0.264
25				गदामली	नारंगी क्षेत्र	OA 1093	1662.918	0.5	0.083
26				एरमनार	नारंगी क्षेत्र	OA 1094	6452.372	0.5	0.323
27				एरमनार	नारंगी क्षेत्र	OA 1095	2783.223	0.5	0.139
28				एरमनार	नारंगी क्षेत्र	OA 1096	930.875	0.5	0.047
29				गुदमा	नारंगी क्षेत्र	OA 1097	1942.780	0.5	0.097
30				संकनपल्ली	नारंगी क्षेत्र	OA 1099	1536.691	0.5	0.077
31				गुदमा	नारंगी क्षेत्र	OA 1100	6466.992	0.5	0.323
32				संकनपल्ली	नारंगी क्षेत्र	OA 1104	1206.502	0.5	0.060
33				भोसागुड़ा	नारंगी क्षेत्र	OA 1105	2435.234	0.5	0.122
34				पेंकरम	नारंगी क्षेत्र	OA 1108	11587.983	0.5	0.581
35				पेंकरम	नारंगी क्षेत्र	OA 1113	3133.526	0.5	0.157
36			बीजापुर बफर	तुर्रेनार	नारंगी क्षेत्र	OA 1131	2134.284	0.5	0.107
37				तुर्रेनार	नारंगी क्षेत्र	OA 1114	870.517	0.5	0.044
नारंगी वन क्षेत्र का योग–									**3.485**
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	रकबा (हे.)
38	बीजापुर	इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर	भैरमगढ	करकेली	राजस्व वन	194	1490.731	0.5	0.075
39			भैरमगढ	करकेली	राजस्व वन	37	489.510	0.5	0.024
40			भैरमगढ	केतुलनार	राजस्व वन	202	78.882	0.5	0.004
राजस्व वनभूमि का योग–									**0.103**
कुल योग							**117592.54 (117.592 K.M.)**	**0.5**	**5.880**

Rajpal

क्रमशः 3

262

उक्त 117.592 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 5.880 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.051 हे., संरक्षित वन भूमि 1.241 हे. नारंगी वन भूमि 3.485 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.103 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2.(अ) वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर महासमुंद वनमंडल अंतर्गत प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 5.880 हे. वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक संस्थान द्वारा महासमुंद वनमंडल के महासमुंद परिक्षेत्र के ग्राम बरोण्डाबाजार में 5.880 हे. एवं भलेसर में 10.802 हे. कुल 16.682 हे. राजस्व भूमि में से समतुल्य राजस्व भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जायेगा।

(ब) उपरोक्त वन भूमि को 6 माह के अंदर नोडल अधिकारी द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत् संरक्षित वन या धारा–4 के तहत् आरक्षित वन के रुप मे अधिसूचित किया जाएगा।

3. उपयोगकर्ता वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की लागत राशि वन विभाग के पास पेशगी जमा करेगें ताकि वृक्षारोपण किया जा सके।

4.(अ) समादेश याचिका (सी) क्रमांक/202/1995 के अंतर्गत आई.ए.क्रमांक–566 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 व 09.05.2008 के अनुसार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 5–1/1998–एफ.सी. (पार्ट–II) दि.18.09.2003 के साथ इससे सम्बंधित पत्र क्रमांक 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006, पत्र क्रमांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009, तथा पत्र क्र. 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 तथा पत्र क्रमांक 5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 22.03.2022 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वन विभाग उपयोगकर्ता अभिकरण से शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) वसूली जायेगी।

(ब) विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरण से वसूली जाएगी। उपयोगकर्ता अभिकरण इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करेगा।

5. परियोजना के अंतर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Chhattisgarh SB01025203 के कार्पोरेशन बैंक लोदी कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली – 110003 में स्थित खाता संख्या CAF 25203 में हस्तांतरित की जायेगी ।

6. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।

7. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

8. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।

263

9. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा प्रभारी उप निदेशक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व /वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

10. उपरोक्त लाईन, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।

11. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।

12. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

13 आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

14. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

15. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) यह सुनिश्चित करेगें कि, वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1927 के तहत् उपयुक्त अनुमति, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।

16. भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक F.No. 6-175/2017 WL(pt), दिनांक 07.02.2023 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित/अधिरोपित समस्त शर्तें लागू होंगी तथा आवेदक संस्थान उक्त शर्तों के पालन हेतु वचनबद्ध रहेगा।

17. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।

18. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को निवेदन करेंगे।

19. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

20. आवेदक संस्थान द्वारा विषयांकित प्रकरण में 5.777 हे. वन भूमि का कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। शेष रकबा (5.880 हे. – 5.777 हे. = 0.103 हे.) हेतु कलेक्टर का वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र प्रकरण में प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदन के साथ प्रदाय करेगा।

क्रमशः 5

264

21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) यह सुनिश्चित करेगें कि, प्रस्तावित कार्य के क्रियान्वयन में वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित कोई भी नियम/अधिनियम का उल्लंघन न हो।

22. सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

23. संरक्षित क्षेत्र के अंदर जलाऊ लकड़ी का संग्रहण नही किया जावेगा तथा कोई ऐसी गतिविधि संचालित नही की जायेगी जिससे वन्यप्राणियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो।

24. मशीनों का उपयोग सही प्रकार से किया जावेगा जिससे वन्यप्राणियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा जैव विविधता को नुकसान न हो।

25. आवेदक संस्था द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के नियमों का पालन किया जायेगा। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाये जाने के कार्य में इस्तेमाल हो रहे मलबा, उपकरण आदि संरक्षित क्षेत्र के अंदर नही छोड़े जावेंगे।

26. कार्य के समय इस्तेमाल किये जाने वाले मशीनों एवं उपकरणों से किसी प्रकार का तेज ध्वनि उत्पन्न न हो जिससे की वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास में बाधा हो यह सुनिश्चत करें।

27. आवेदक संस्थान किसी भी स्थिति में भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी अन्य संस्थान/विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही करेगा।

28. Adequate mitigation measures should be put in place for protection and conservation of wildlife.

29. Care should be taken that no natural drainage gets obstructed by implementation of the project. Adequate water passageways need to be provided wherever applicable.

30. No labor camp should be constructed within the Indrawati Tiger Reserve or forest area.

31. Special care should be taken to ensure that the animal movement is not restricted due to the construction work.

उपरोक्त शर्तों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से संबंधित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से प्राप्त कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित करेगें जिसके पश्चात् इस प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

KRajput
27.12.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 6

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–55 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27 / 12 / 2023

प्रतिलिपि :–

1.वनमहानिदेशक, भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली – 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.वनमहानिरीक्षक (वन्यप्राणीखण्ड),भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़, नई दिल्ली – 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3.सहायक वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली– 110003 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

5.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

6.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर छत्तीसगढ़।

7.मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

8.वनमंडलाधिकारी बीजापुर, वनमंडल, छत्तीसगढ़।

9.उप निदेशक, इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर, छत्तीसगढ़।

10.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग